क्रम-संख्या–135(ग–3)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०–
डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 3 अगस्त, 2023

श्रावण 12, 1945 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग–1

———

संख्या 16/2023/732/एक-1–2023-1-1099-34-2023
लखनऊ, 3 अगस्त, 2023

———

अधिसूचना

सा0प0नि0–37

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 233 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं:–

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (पंचम संशोधन) नियमावली, 2023

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (पंचम संशोधन) नियमावली, 2023 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नियम 94 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 (जिसे "आगे उक्त" नियमावली कहा गया है) में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 94 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात:–

स्तम्भ–1 **विद्यमान नियम**	स्तम्भ–2 **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
94(1)राज्य सरकार साधारण अथवा विशेष आदेश द्वारा धारा 89 (2) में विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक भूमि के अर्जन के लिये किसी व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकती है, यदि ऐसा अर्जन–	94(1)राज्य सरकार साधारण अथवा विशेष आदेश द्वारा धारा 89 (2) में विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक भूमि के अर्जन के लिये किसी व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकती है, यदि ऐसा अर्जन–
(क) दान अथवा औद्योगिक उद्देश्य हेतु; और	(क)पूर्त अथवा औद्योगिक उद्देश्य हेतु; और

स्तम्भ–1 **विद्यमान नियम**	स्तम्भ–2 **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
(ख) रजिस्टर्ड समिति या कम्पनी या अन्य निगम या शैक्षणिक संस्थान या पूर्त संस्थान के पक्ष में; और	(ख) रजिस्टर्ड समिति या कम्पनी या अन्य निगम या शैक्षणिक संस्था या पूर्त संस्थान के पक्ष में; और
(ग) उसकी राय में सार्वजनिक हित में हो।	(ग) उसकी राय में सार्वजनिक हित में हो।
(2)यदि किसी विशेष प्रकरण में, कोई व्यक्ति धारा 89 (2) में विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक भूमि को अर्जित करना चाहता है, तो वह राजस्व विभाग में सचिव, राज्य सरकार को निम्नलिखित विशिष्टताओं को विनिर्दिष्ट करते हुये आवेदन प्रस्तुत करेगाः–	(2) यदि किसी विशेष प्रकरण में, कोई व्यक्ति धारा 89 (2) में विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक भूमि अर्जित करना चाहता है, तो वह राजस्व विभाग में सचिव, राज्य सरकार को निम्नलिखित विशिष्टताओं को विनिर्दिष्ट करते हुये आवेदन प्रस्तुत करेगाः–
(क) आवेदक का नाम एवं पता (यदि आवेदक विधिक व्यक्ति है, तो ऐसे व्यक्ति का विस्तृत ब्यौरा/विवरण);	(क) आवेदक का नाम एवं पता (यदि आवेदक विधिक व्यक्ति है तो ऐसे व्यक्ति का विस्तृत ब्यौरा/विवरण);
(ख) अर्जन की जाने वाली सम्पत्ति का ब्यौरा;	(ख) अर्जित किये जाने हेतु वांछित सम्पत्ति का ब्यौरा;
(ग) व्यक्ति का नाम तथा पता जिससे भूमि अर्जन की जानी है;	(ग) अर्जन की रीति (विक्रय, दान आदि);
(घ) अर्जन की रीति (विक्रय, दान आदि);	(घ) विक्रय प्रतिफल, यदि कोई हो;
(ङ) विक्रय प्रतिफल, यदि कोई हो;	(ङ) अर्जन का प्रयोजन;
(च) अर्जन का प्रयोजन;	(च) कोई अन्य सूचना, जो सुसंगत समझी जाय।
(छ) कोई अन्य सूचना जो सुसंगत समझी जाय।	
(3) उपनियम (2) के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पर राज्य सरकार जांच कर सकती है और यदि वह इस राय का हो कि धारा 89(3) में विनिर्दिष्ट शर्तें पूर्ण हैं, तो वह अपेक्षित अनुमति शर्तों या प्रतिबंधों के साथ अथवा उसके बिना दे सकती है।	(3) उपनियम (2) के अधीन आवेदन प्राप्त किये जाने पर राज्य सरकार जांच कर सकती है और यदि उसकी यह राय हो कि धारा 89(3) में विनिर्दिष्ट शर्तें पूर्ण हैं तो वह अपेक्षित अनुमति, शर्तों या प्रतिबंधों के साथ अथवा उसके बिना दे सकती है।
(4) यदि राज्य सरकार धारा 89(3) के अन्तर्गत अनुमति देती है तो उसकी एक प्रति सम्बन्धित जिले के कलेक्टर को भेजेगी।	(4) यदि राज्य सरकार धारा 89(3) के अधीन अनुमति देती है तो उसकी एक प्रति सम्बन्धित जिले के कलेक्टर को भेजी जायेगी।

परिशिष्ट–1 का संशोधन–

3–उक्त नियमावली में परिशिष्ट–1, में नीचे स्तम्भ 1 में दी गयी विद्यमान प्रविष्टि 13 के स्थान पर, स्तम्भ–2 में दी गयी प्रविष्टि रख दी जायेगी, अर्थातः–

स्तम्भ–1					स्तम्भ–2				
विद्यमान प्रविष्टि					एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्रविष्टि				
क्रम संख्या	धारा	वाद की प्रकृति आवेदन और कार्यवाही	सीमा अवधि	उपयुक्त न्यायालय शुल्क	क्रम संख्या	धारा	वाद की प्रकृति आवेदन और कार्यवाही	सीमा अवधि	उपयुक्त न्यायालय शुल्क
13	80(1)	उद्घोषणा के लिए आवेदन	शून्य	संहिता के नियम 85(2) के उपबन्धों के अनुसार	13	80(1)	उद्घोषणा के लिए आवेदन	शून्य	(उद्घोषणा रद्द करने के लिए आवेदन के संबंध में) क्रम संख्या 14 के समक्ष उचित न्यायालय शुल्क के रूप में उल्लिखित धनराशि

आज्ञा से,

सुधीर गर्ग,

अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 16/2023/732/ I-1–2023-1-1099-34-2023, dated August 3, 2023 :

No. 16/2023/732/ I-1–2023-1-1099-34-2023

Dated Lucknow, August 3 , 2023

IN exercise of the powers under section 233 of the Uttar Pradesh Revenue Code, 2006 (U.P. Act no. 8 of 2012) *read* with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904), the Governor is pleased to make the following rules with a view to amend the Uttar Pradesh Revenue Code Rules, 2016.

THE UTTAR PRADESH REVENUE CODE (FIFTH AMENDMENT) RULES, 2023

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called Uttar Pradesh Revenue Code (Fifth Amendment) rules, 2023.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the *Gazette*.

2. In the Uttar Pradesh Revenue Code Rules, 2016 (hereinafter referred to as the "said rules"), *for* the existing rules 94 set out in Column-1 below, the rule as set out in Column-2 shall be *substituted*, namely:-

COLUMN-1 *Existing rule*	COLUMN-2 *Rule as hereby substituted*
94.(1) The State Government may be a general or special order, authorise any person to acquire land in excess of the limits specified in section 89 (2), if such acquisition is-	94.(1) The State Government may be a general or special order, authorise any person to acquire land in excess of the limits specified in section 89 (2), if such acquisition is-
(a) for a charitable or industrial purpose; and	(a) for a charitable or industrial purpose; and
(b) in favour of a registered society or a company or other corporation or an educational institution or a charitable institution; and	(b) in favour of a registered society or a company or other corporation or an educational institution or a charitable institution; and
(c) in its opinion in public interest.	(c) in its opinion in public interest.
(2) If in any special case, any person wants to acquire land in excess of the limit specified in section 89(2), then he shall submit an application to the Secretary to the State Government, in the Revenue Department, specifying therein the following particulars:-	(2) If in any special case, any person wants to acquire land in excess of the limit specified in section 89(2), then he shall submit an application to the Secretary to the State Government, in the Revenue Department, specifying therein the following particulars:-
(a) Name and address of the applicant. (if the applicant is a juristic person, the detailed particulars of such person);	(a) Name and address of the applicant. (if the applicant is a juristic person, the detailed particulars of such person);
(b) The details of the property sought to be acquired;	(b) The details of the property sought to be acquired;
(c) The name and address of the person from whom the land is sought to be acquired;	(c) The mode of acquisition (sale, gift *etc.*);
(d) The mode of acquisition (sale, gift *etc.*);	(d) Sale consideration, if any;

(e) Sale consideration, if any;

(f) Purpose of acquisition;

(g) Any other information which may be considered relevant.

(3) On receipt of the application under sub-rule (2), the State Government may make an inquiry, and if it is of opinion that the conditions specified in section 89(3) are fulfilled, it may grant the requisite permission with or without any conditions or restrictions.

(4) If the State Government grants the permission under section 89(3), a copy therof shall be sent to the Collector of the district concerned.

(e) Purpose of acquisition;

(f) Any other information which may be considered relevant.

(3) On receipt of the application under sub-rule (2), the State Government may make an inquiry, and if it is of opinion that the conditions specified in section 89(3) are fulfilled, it may grant the requisite permission with or without any conditions or restrictions.

(4) If the State Government grants the permission under section 89(3), a copy therof shall be sent to the Collector of the district concerned.

Amendment of Appendix-I

3. In the said rules, in Appendix-I *for* the existing entry 13 set out in Column-1 below, the entry as set out in Column-2 shall be *subsituted*, namely:-

Column-1 *Existing entry*					Column-2 *Entry as hereby substituted*				
Sl. No.	Section	Nature of suit, application and proceedings	Period of limitation	Proper Court Fee	Sl. No.	Section	Nature of suit, application and proceedings	Period of limitation	Proper Court Fee
13	80(1)	Application for declaration	Nill	As per the provisi-ons of rule 85(2) of the code	13	80(1)	Application for declaration	Nill	Amount mentioned as proper Court fee against serial number 14 (regarding 'Application for cancellation of declaration)

By order,
SUDHIR GARG,
Apar Mukhya Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 575 राजपत्र–2023–(1777)=599 प्रतियां (क0 / टी0 / ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 3 सा0 राजस्व–2023–(1778)=500 प्रतियां (क0 / टी0 / ऑफसेट)।

575 RPH Rajswa-1, 2023 Data 7e